



ज्वेलर्स शॉप में छापे, नकली  
हालमार्क लगे गहने जब्त

समवेत शिखर संवाददाता

पत्थलगाव। भारतीय मानक बूरो, रायपुर शाखा कार्यालय को यह प्रम सूचना प्राप्त हुई थी कि पत्थलगाव जला 'जसपुर स्थित दो सोने के अभूषण विक्रेता भारतीय मानक ये के साथ

कुमार साहिटरस के नेतृत्व में किया गया दोनों दुकानों पर क्रमशः 36 तथा 50 नकली हॉलमार्क लगे जबलीरी पाया तथा उसे जब किया। दोनों हॉलमार्क चिक्रेताओं के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो की अधिनियम



ज्वेलर्स, जशपुर रोड, पत्थलगांव, जशपुर, छत्तीसगढ़ में छपेमारी की गई और दोनों ही जगहों पर हॉलमार्क का दुरुपयोग करते पाए गए। छपेमारी की कार्यवाही रायपुर से कोशलनेंद्र 2016 के तहत कार्यवाई की जाएगी। दोप साबित होने पर कम से कम 1 लाख का जुर्माना से रुपये 5 लाख तक का जुर्माना या एक शाल की जेल या दोनों हो सकती है।

सोने चादी के दुकानों में छापा मारकर हॉलमार्क के नकली गहने की चेकिंग

विक्रेता भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिन्ह हॉलमार्क का दुरुपयोग कर रहा है। इसी क्रम में एक सिंह, वैज्ञानिक एक में प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जाँच टीम गठित कर आधेमारी की कार्रवाई के शेष पश्च २ पर...





